

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, औरंगाबाद।

पटना, दिनांक- 15/7/15

विषय:- औरंगाबाद नगर परिषद् क्षेत्र में बस स्टैंड के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में विभागीय राज्यादेश संख्या- 81, दिनांक- 28.02.2014 एवं आवंटनादेश संख्या- 107, दिनांक- 28.02.2014 के क्रमांक- 7 द्वारा नगर परिषद्, औरंगाबाद क्षेत्रान्तर्गत बस स्टैंड के निर्माण एवं जीर्णोद्धार हेतु कुल ₹200.00 लाख (दो करोड़ रुपये) विमुक्त किया गया था। उक्त राज्यादेश एवं आवंटनादेश के कंडिका- 2 में यह निदेश दिया गया था कि बस स्टैंड निर्माण हेतु विस्तृत डी०पी०आर० बुडको से प्राप्त किया जायेगा।

2. प्रबंध निदेशक, बुडको के पत्रांक- 1443, दिनांक- 14.05.2015 द्वारा बस स्टैंड निर्माण हेतु विस्तृत डी०पी०आर० तैयार कर भेजा गया है। योजना की प्राक्कलित राशि ₹400.00 लाख (चार करोड़ रुपये) है। प्राक्कलन का तकनीकी अनुमोदन महाप्रबंधक (यांत्रिक), बुडको द्वारा प्रदान किया गया है।

3. दिनांक- 27.05.2015 को आयोजित विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में औरंगाबाद बस स्टैंड निर्माण हेतु बुडको से प्राप्त ₹400.00 लाख (चार करोड़ रुपये) की योजना पारित करने हेतु अनुशांसा की गई तथा माननीय मंत्री द्वारा दिनांक- 04.06.2015 को योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है।

4. योजना की कार्यकारी एजेंसी बुडको को बनाया गया है।

5. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, औरंगाबाद द्वारा योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में विमुक्त की गई ₹200.00 लाख (दो करोड़ रुपये) अविलम्ब बुडको को हस्तांतरित किया जायेगा। अवशेष ₹200.00 लाख (दो करोड़ रुपये) का आवंटन योजना के कार्यान्वयन की प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर राज्य योजनान्तर्गत नागरिक सुविधा मद से किया जायेगा।

विश्वासभाजन

सरकार के विशेष सचिव।

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, औरंगाबाद।

पटना, दिनांक-

विषय:- औरंगाबाद नगर परिषद् क्षेत्र में बस स्टैंड के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में विभागीय राज्यादेश संख्या- 81, दिनांक- 28.02.2014 एवं आवंटनादेश संख्या- 107, दिनांक- 28.02.2014 के क्रमांक- 7 द्वारा नगर परिषद्, औरंगाबाद क्षेत्रान्तर्गत बस स्टैंड के निर्माण एवं जीर्णोद्धार हेतु कुल ₹200.00 लाख (दो करोड़ रुपये) विमुक्त किया गया था। उक्त राज्यादेश एवं आवंटनादेश के कंडिका- 2 में यह निदेश दिया गया था कि बस स्टैंड निर्माण हेतु विस्तृत डी०पी०आर० बुडको से प्राप्त किया जायेगा।

2. प्रबंध निदेशक, बुडको के पत्रांक- 1443, दिनांक- 14.05.2015 द्वारा बस स्टैंड निर्माण हेतु विस्तृत डी०पी०आर० तैयार कर भेजा गया है। योजना की प्राक्कलित राशि ₹400.00 लाख (चार करोड़ रुपये) है। प्राक्कलन का तकनीकी अनुमोदन महाप्रबंधक (यांत्रिक), बुडको द्वारा प्रदान किया गया है।
3. दिनांक- 27.05.2015 को आयोजित विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में औरंगाबाद बस स्टैंड निर्माण हेतु बुडको से प्राप्त ₹400.00 लाख (चार करोड़ रुपये) की योजना पारित करने हेतु अनुशंसा की गई तथा माननीय मंत्री द्वारा दिनांक- 04.06.2015 को योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है।
4. योजना की कार्यकारी एजेंसी बुडको को बनाया गया है।
5. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, औरंगाबाद द्वारा योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में विमुक्त की गई ₹200.00 लाख (दो करोड़ रुपये) अविलम्ब बुडको को हस्तांतरित किया जायेगा। अवशेष ₹200.00 लाख (दो करोड़ रुपये) का आवंटन योजना के कार्यान्वयन की प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर राज्य योजनान्तर्गत नागरिक सुविधा मद से किया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/ना०सु०-03-11/2015 3648 /न०वि०एवं आ०वि०/पटना, दिनांक- 15/7/15
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/आयुक्त, नगर प्रमंडल, गया/जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद/कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/वित्त (बजट शाखा) विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

2/2/15